

अंतिम डिक्री बमुकदमे हस्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, नया नियम)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं जेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकदमा श्रीकरणपुर व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (अ.व.एल.)

अजीत सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अंतर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 120/2022
निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

यह मुकदमा आज वास्तु इन्फिरमिड कर्टाई स्वकल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादाव्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 आर, फटवार हल्दा मौहला, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कर्ता की जमाबन्दी संख्या 2073 ता 76 के खाता संख्या 52,53,2,6,11,42,4341 में रहन ओ.बी.सी. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर रहन पी.एन.बी. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बरामत रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.06.2022 को यह पर्या डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (अ.व.एल.)

सहायक कलक्टर एवं जेन उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान सरकार, श्रीकरणपुर

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजोदावा	00	00	स्टाम्प कदालतनामा	00	00
स्टाम्प कदालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इचूटी	00	00	मेहनताना कर्ता पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

[सुभाष चन्द्र (अ.व.एल.)

सहायक कलक्टर एवं जेन उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान सरकार, श्रीकरणपुर

दिनांक: 10.06.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/326

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



[सुभाष चन्द्र (अ.व.एल.)

सहायक कलक्टर एवं जेन उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान सरकार, श्रीकरणपुर